राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक : प. 4(1)/वित्त/आब/2017 दिनांकः 23 फरवरी, 2017

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

विषयः आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के निर्धारण के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

(1) अवधि :–

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2017–18 (दिनांक 1–4–2017 से दिनांक 31–3–2018) के लिये होगी। वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियों को स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2018–19 (दिनांक 1–4–2018 से दिनांक 31–3–2019) के लिये निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा।

(2) बन्दोबस्त की प्रणाली :–

वर्ष 2017–18 हेतु देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा/बीयर एवं भांग का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

2.1 देशी मदिरा के वर्ष 2017–18 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग समूहों का निविदायें आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा।

(3) देशी मदिरा :–

3.1 बन्दोबस्त की प्रकिया :–

वर्ष 2017–18 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी

आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जिन्हें विभागीय वेबसाईट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.1 जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

3.1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164–12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अनुसार राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो पर रिटेल ऑफ खुदरा दुकानों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर निर्धारित की जाती है।

3.2 समूहों का गठन :–

वर्ष 2016–17 में 6658 देशी मदिरा दुकानों के 5748 समूहों का पुनर्गठन कर वर्ष 2017–18 हेतु 6640 देशी मदिरा दुकानों के पंचायतवार/नगरपालिका वार्डवार 5619 समूह बनाये गये हैं। इस प्रकार 129 समूह एवं 18 देशी मदिरा दुकानें कम की गई है किन्तु राज्य की समग्र वार्षिक एकाधिकार राशि को यथावत रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164–12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में निर्णय दिनांक 15–12–2016 के द्वारा भारत के समस्त राज्यों में राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गो से रिटेल ऑफ खुदरा दुकानों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर निर्धारित किये जाने के निर्णय से ऐसी दुकानों के स्थल परिवर्तन से होने वाले प्रभाव, शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने एवं जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर रिक्त पंचायतों में नये समूहों के गठन को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के वितरण हेतु मदिरा समूहों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण एवं तद्नुसार वार्षिक राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त कर सकेगें।

उक्तानुसार वर्ष 2016–17 में प्रचलित देशी मदिरा समूहों का पुर्नगठन किये जाने के उपरान्त वर्ष 2017–18 के लिये देशी मदिरा समूहों/दुकानों की वार्षिक एकाधिकार राशि का निर्धारण किया जायेगा।

3.3 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि :–

3.3.1 देशी मदिरा समूहों (बासवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के देशी मदिरा समूहों को छोड़कर) हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	निर्धारित शुल्क (रूपये)
वर्ष 2017–18 के लिए 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16,000/–
वर्ष 2017–18 के लिए 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21,000/–

3.3.2 बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के देशी मदिरा समूहों के लिये आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

श्रेणी	निर्धारित शुल्क (रूपये)
वर्ष 2017–18 के लिए 10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	7,000/–
वर्ष 2017–18 के लिए 10 लाख से अधिक आरक्षित राशि वाले समूह	11,000/–

आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक–पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

3.3.3 **अमानत राशि** (Earnest Money) : प्रत्येक देशी मदिरा समूह के लिये वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित वार्षिक राशि की **एक प्रतिशत** राशि, अमानत राशि निर्धारित की जाती है। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

3.3.4 किसी जिले में एक ही आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकान/मदिरा समूह के लिये आवेदन करने पर उस जिले में एक दुकान के लिये देय अधिकतम अमानत राशि को अन्य आवेदन के साथ उपयोग लिया जा सकेगा, किन्तु प्रत्येक आवेदन हेतु आवेदन शुल्क पृथक–पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (non refundable) होगा ।

3.3.5 आवेदक द्वारा अमानत राशि की भुगतान प्रकिया :–

(i) आवेदक द्वारा एक जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली समूह की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन

अथवा अलग–अलग समूह के लिये एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

(ii) अलग–अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाले समूह की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) के अनुसार आवेदन मान्य होगा।

(iii) किसी जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक समूह के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित समूह के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

3.3.6 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.4 वार्षिक राशि (एकाकी विशेषाधिकार राशि) का निर्धारण :–

3.4.1 **वर्ष 2017–18 के लिये वार्षिक राशि का निर्धारणः–** वर्ष 2016–17 में प्रचलित देशी मदिरा समूहों के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार विवेकीकरण किया जाकर देशी मदिरा समूहों के लिये समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी। विवेकीकरण के उपरान्त समूह के लिये प्रस्तावित वार्षिक राशि में **12 प्रतिशत** की वृद्धि की जाकर समूह की वर्ष 2017–18 के लिये वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी।

3.4.2 **वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक राशि का निर्धारण :–** वर्ष 2018–19 के लिये देशी मदिरा समूहों की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में **15 प्रतिशत** की वृद्धि की जाकर किया जायेगा।

3.4.3 वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि पर वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियों को उनके अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु अनुज्ञाधारी वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का **16 प्रतिशत** नवीनीकरण आवेदन शुल्क राजकोष में जमा का चालान संलग्न कर नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

3.4.4 वर्ष 2018–19 के लिये नवीनीकरण से शेष रहे समूहों का बन्दोबस्त वर्ष 2017–18 के लिये बिन्दु संख्या 3.1 में निर्धारित बन्दोबस्त प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

3.4.5 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी शुल्क का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक राशि के पेटे दिया जायेगा।

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

3.5.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2017 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.2 इस 18 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि प्रतिमाह निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

3.5.3 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2018 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.4 इस 18 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि प्रतिमाह निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

3.6 धरोहर राशि :–

3.6.1 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 हेतु सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में आवेदन की शर्तो के अनुरूप नकद जमा करानी होगी।

3.7 देशी मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात :–

3.7.1 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में 40, 50 एवं 60 यू.पी. तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.7.1.1 राज्य के समस्त उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से कुल आपूर्ति की न्यूनतम 40 प्रतिशत मदिरा 50 अथवा 60 यू.पी. तेजी की होना आवश्यक होगा। आबकारी आयुक्त इस हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

3.7.1.2 40, 50 एवं 60 यू.पी. की मदिरा की आपूर्ति पेट/ग्लास में की जा सकेगी ।

3.7.1.3 निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट द्वारा देशी मदिरा की कुल आपूर्ति का न्यूनतम 12 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी मदिरा की न्यूनतम 12 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी।

3.7.1.4 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में देशी मदिरा की मांग के अनुरूप आपूर्ति निजी उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा नही किये जाने की स्थिति में इसकी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा की जायेगी। जिसके लिए निजी आपूर्तिकर्त्ता से रूपये 50/– प्रति कार्टन की दर से राशि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा वसूल की जायेगी। इसके लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.7.2 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 41 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 59 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से न्यूनतम 59 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.7.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से देशी मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7.4 **देशी मदिरा का आयात –**

वर्ष 2016–17 की व्यवस्था के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.7.5 **देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव :–**

3.7.5.1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। शोधित प्रासव के आयात में ग्रेन आधारित एवं

मोलासेस आधारित शोधित प्रासव का अनुपात यथावत क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

3.7.6 **विभिन्न प्रकार की देशी मदिरा के निर्गम का प्रतिशत :**

अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नहीं करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50/60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित त्रैमास की कुल मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

3.7.6.1 एक त्रैमास में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम 50/60 यूपी मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क तथा 50/60 यूपी देशी मदिरा के वास्तविक उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.7.6.2 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किये जाने की शर्त में राज्य के लिये निर्धारित अनुपात को बनाये रखते हुये, जिला विशेष के लिये देशी मदिरा की तेजी के प्रकार के उठाव में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

3.7.7 (i) वर्ष 2017–18 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

(ii) वर्ष 2018–19 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से

अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

3.7.8 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :

3.8.1 वर्ष 2016–17 हेतु 40 यू.पी., 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक विक्रय मूल्य क्रमशः रुपये 376/–, 357/– तथा 317/– निर्धारित है। 40 यूपी ग्लास के कार्टन का निर्गम मूल्य रूपये 405/– निर्धारित है।

3.8.2 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 हेतु देशी मदिरा की उक्त तीनो श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र. सं	देशी मदिरा (RS) की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)	
		ग्लास	पेट
1.	40 यू.पी.	410	380
2.	50 यू.पी.	–	360
3.	60 यू.पी.	–	320

थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है। देशी मदिरा के निर्गम मूल्य में जी.एस.टी. लागू होने की दशा में आवश्यक होने पर, संशोधन राज्य सरकार द्वारा किये जा सकेगें।

3.8.3 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है। देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा (ENA) के पव्वा, अद्धा एवं बोतल का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है, जिस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.8.4 वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिये वर्ष 2016–17 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से "स्ट्रोंग मदिरा" अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.9 कम्पोजिट दुकान :–

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

3.9.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी:–

(i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/नगर परिषद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवो में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकाने** 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **"चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी।

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों **"ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी ।

3.10 वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिये कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना बिन्दु संख्या 3.11 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

3.10.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2017 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2018 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी ।

3.10.2 नवगठित समूहों की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

3.11 वर्ष 2017–18 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

3.11.1 **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण:–** वर्ष 2017–18 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

3.11.2 वर्ष 2017–18 में ऐसी दुकानें जो बिन्दू संख्या 3.9.1.1 (i) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस निर्धारण के लिये इस परिधि में स्थित गांवो को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2016–17 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होगें।

3.11.3 वर्ष 2017–18 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2016–17 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 6 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2016–17 की आर.एस. बी.सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 6 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.11.4 परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

3.11.5 वर्ष 2017–18 के लिये **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस** को 31 मार्च 2017 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3.12 वर्ष 2018–19 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

3.12.1 **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः–** वर्ष 2018–19 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी ।

3.12.2 वर्ष 2018–19 में ऐसी दुकानें जो बिन्दु संख्या 3.9.1.1 (i) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस निर्धारण के लिये इस परिधि में स्थित गांवो को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2017–18 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होगें।

3.12.3 वर्ष 2018–19 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2017–18 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 6 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के

50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2017–18 की आर.एस. बी.सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 6 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.12.4 परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

3.12.5 वर्ष 2018–19 के लिये **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस** को 31 मार्च 2018 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3.13 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्पः–

3.13.1 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु "ब" श्रेणी गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

3.13.2 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.13.2.1 वर्ष 2017–18 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2017–18 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

3.13.2.2 वर्ष 2018–19 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2018–19 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

3.13.2.3 बिन्दू संख्या 3.13.2.1 एवं 3.13.2.2 के लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.14 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के लिये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः–

3.14.1 वर्ष 2017–18 के लिये "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः–

(क) वर्ष 2017–18 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी. एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 6 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.14.1 (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

3.14.2 वर्ष 2018–19 के लिये "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः–

(क) वर्ष 2018–19 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 7 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.14.2 (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

3.15 ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः–

(i) वर्ष 2017–18 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2016–17 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के **6 प्रतिशत** अथवा वर्ष 2016–17 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(ii) वर्ष 2018–19 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2017–18 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के **7 प्रतिशत** अथवा वर्ष 2017–18 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

(iii) वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल. से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित वर्ष के लिये कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर सम्बन्धित वर्ष के लिये प्रति कम्पोजिट दुकान के लिये कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

3.16 वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों अथवा ग्रामीण क्षेत्र के देशी मदिरा कम्पोजिट समूह की प्रत्येक दुकान के लिये सम्बन्धित वर्ष के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान अथवा समूह के लिये सम्बन्धित वर्ष में भा.नि.वि. म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे सम्बन्धित वर्ष में समायोजन योग्य होगी एवं सम्बन्धित वर्ष के दौरान इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

3.17 किसी भी श्रेणी की कम्पोजिट दुकान अथवा कम्पोजिट समूह के लिये वर्ष 2017–18 में जमा एवं अप्रयुक्त कम्पोजिट फीस वर्ष 2018–19 में प्रयुक्त होने योग्य नही होगी।

3.18 वर्ष 2016–17 के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अनुसार दी जायेगी।

3.19 एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

(i) किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम 9 माह में समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि (Including all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर वर्ष 2017–18 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

(ii) किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम 9 माह में समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि (Including all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर वर्ष 2018–19 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

3.20 (i) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2016–17 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2017–18 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2016–17 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2017–18 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य

होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ii) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.21 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

4.1 बन्दोबस्त प्रकिया :–

वर्ष 2017–18 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./ बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों का बन्दोबस्त अन्य जिलों में निर्धारित प्रकिया अनुसार पूर्व की भांति यथावत किया जायेगा। इस वर्ष भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराये जायेंगें।

4.1.1 एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

4.2 दुकानों की संख्या :–

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की पूर्व निर्धारित संख्या 1000 ही रखी जायेगी।

4.3 आवेदन शुल्क :–

वर्ष 2017–18 हेतु भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकानों के लिये आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	प्रस्तावित शुल्क रूपये में
वर्ष 2017–18 में रू. 10 लाख तक की वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	16,000/–
वर्ष 2017–18 में रू. 10 लाख से अधिक वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	22,000/–

आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक–पृथक देय होगा।

4.3.1 अमानत राशि (Earnest Money) : भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित दुकान के लिये वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) की **एक प्रतिशत** राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) के पेटे समायोजित किया जायेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

4.3.2 आवेदक द्वारा अमानत राशि की भुगतान प्रक्रिया :–

(i) आवेदक द्वारा एक जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। एक दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन एवं अलग–अलग दुकान के लिये एक अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

(ii) अलग–अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में बिन्दु संख्या (i) के अनुसार आवेदन मान्य होगा।

(iii) जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक दुकान के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित दुकान के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

4.4 लाईसेन्स फीस :–

4.4.1 वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2016–17 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	21.00	17.00	8.00	25.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	17.25	13.50	6.50	20.00
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	13.50	10.00	5.00	15.00
4.	अन्य जिला मुख्यालय	11.50	8.80	4.20	13.00
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	9.75	8.00	3.50	11.50

4.4.2 वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2017–18 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं. 4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	25.00	19.00	8.00	27.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	20.00	15.50	6.50	22.00
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	15.00	12.00	5.00	17.00
4.	अन्य जिला मुख्यालय	13.00	10.80	4.20	15.00
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	11.50	10.00	3.50	13.50

वर्ष 2018–19 के लिये नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी को उक्त लाईसेन्स फीस 28 फरवरी 2018 तक जमा करानी होगी।

4.4.3 वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियों को अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा। वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस की 20 प्रतिशत राशि **नवीनीकरण आवेदन शुल्क** के रूप में जमा करानी होगी। अनुज्ञाधारी नवीनीकरण आवेदन शुल्क को राजकोष में जमा का चालान सहित नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

4.4.4 वर्ष 2018–19 के लिये नवीनीकरण से शेष रहने वाली दुकानों का बन्दोबस्त बिन्दु संख्या 4.1 में निर्धारित बन्दोबस्त प्रकिया (लॉटरी) के अनुसार किया जायेगा।

4.5 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :–

वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के लिये क्रमशः बिन्दु संख्या 4.4.1 एवं 4.4.2 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त राशि के समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

4.6 (i) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2016–17 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2017–18 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2016–17 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2017–18 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ii) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2017–18 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2018–19 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर के रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य

होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना, दुकानवार, प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.7 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

4.8 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के प्रथम आबकारी ड्यूटी स्लेब में 35 यू.पी. तेजी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विस्की, ब्राण्डी, जिन, रम, वोदका आदि) का उत्पादन टेट्रा पैक/ग्लास में किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के स्वयं द्वारा अथवा अनुबन्ध आधार पर निजी उत्पादनकर्त्ताओं से इस श्रेणी की मदिरा का उत्पादन कराया जा सकेगा।

4.9 देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर पर आबकारी शुल्क/फीस में संशोधनः–

4.9.1 वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर रू. 127/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित है। देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर को बढ़ाया जाकर रू. 130/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित किया जाता है।

4.9.2 वर्तमान में स्वयं के भा.नि.वि.मदिरा ब्राण्ड एवं फ्रेन्चाईज अनुबन्ध के आधार पर भा.नि.वि.मदिरा बोटल करने रू.4.40/– प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस देय है। इस फीस को बढ़ाकर रू. 5.00/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.9.3 वर्तमान में स्वयं के बीयर ब्राण्ड पर रू. 2.50/– प्रति बल्क लीटर एवं फ्रेन्चाईज अनुबन्ध के आधार पर बीयर बोटल करने रू. 3.30/– प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस देय है। इस फीस को बढ़ाकर स्वयं के बीयर ब्राण्ड पर रू. 3.00/– प्रति बल्क लीटर एवं फ्रेन्चाईज अनुबन्ध के आधार पर बीयर बोटल करने रू. 4.00/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

4.9.4 वर्तमान में राज्य के बाहर से आयात किये जाने वाले ई.एन.ए. पर ब्रिगिंग इन टू परमिट फीस की दर रू. 4/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। राज्य के बाहर से आयात किये जाने वाले ई.एन.ए. पर ब्रिगिंग इन टू परमिट फीस की दर को बढ़ाया जाकर रू. 5/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है। राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. के लिये यह व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी।

4.9.5 देशी शराब निर्माण के लिये शोधित प्रासव, मदिरा निर्माण के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ENA), हाई बैकिट स्प्रिट (HBS) एवं इसी श्रेणी की प्रासव/एल्कोहल, अन्य उपयोग के लिये शोषित प्रासव, अन्य उपयोग के लिये एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ENA), हाई बैकिट स्प्रिट (HBS) एवं इसी

श्रेणी की प्रासव/एल्कोहल पर वर्तमान में राज्य से बाहर भेजने पर रू. 0.20 प्रति बल्क लीटर की दर से सेन्डिंग आउट परमिट फीस (Sending out fee) देय है । इस दर को सभी किस्मों के लिये बढ़ाया जाकर सेन्डिंग आउट परमिट फीस (Sending out fee) रू. 2.00 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

4.9.6 राजस्थान आबकारी नियम 1950 के नियम 68(13) के अन्तर्गत देय भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्माताओं के थोक अनुज्ञापत्र की फीस सभी स्थानों के लिये रू. 8 लाख निर्धारित की जाती है।

4.9.7 राजस्थान विदेशी मदिरा नियम 1982 के नियम 3 के द्वितीय प्रोविजो के अन्तर्गत देय ब्राण्ड फीस को विलोपित किया जाता है।

4.9.8 वर्तमान में अन्य राज्यों से आयातित भा.नि.वि. मदिरा/बीयर/स्प्रिट/हैरिटेज लिकर के लिये निर्माता द्वारा घोषित एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज द्वारा स्वीकृत एक्स डिस्टलरी मूल्य पर आबकारी ड्यूटी देय है। इस एक्स डिस्टलरी मूल्य में देय एक्सपोर्ट फीस, सी.एस.टी. एवं अन्य देय शुल्क को सम्मिलित किया जाकर प्राप्त होने वाले एक्स डिस्टलरी मूल्य पर आबकारी ड्यूटी की वसूली निधार्रित की जाती है।

4.9.9 वर्तमान में बीआईओ एवं अन्य राज्यों से आयातित बीयर पर अधिसूचना दिनांक 1–4–2014 द्वारा आरोपित इन्क्रीमेंन्टल ओवर हेड चार्जेज को वर्तमान प्रावधानों अनुसार ईबीपी में सम्मिलित किये जाने के कारण विलोपित किया जाता है।

4.9.10 वर्तमान में आयातित विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बोतलों, अद्धो, पव्वों एवं अन्य पैंकिंग साईज के प्रति कार्टन घोषित मूल्य पर थोक लाईसेन्स फीस देय है। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा घोषित मूल्य में कस्टमस् ड्यूटी, आयात शुल्क, सी.एस.टी. एवं अन्य देय शुल्क को सम्मिलित किया जाकर थोक लाईसेन्स फीस की गणना किया जाना निर्धारित किया जाता है।

4.9.11 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर वर्तमान 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(5) रिटेल ऑन (Retail-on) **: होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–**

5.1. होटल बार :

5.1.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को यथावत रखा गया है।

5.1.2 पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2015 के बिन्दू संख्या 2 के उपबिन्दु 1 से 9 तक परिभाषित पर्यटन इकाईयों को होटल/रेस्टोबार से संबंधित प्रावधानों के तहत लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

5.2. रेस्टोरेन्ट बार :

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2016–17	निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीय सीमा के 5 किलोमीटर सीमा में स्थित हो				
	(अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय	8.00	8.00	1.00	9.00
	(ब) अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	6.00	6.00	1.00	7.00
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	5.00	5.00	1.00	6.00
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	4.50	4.50	1.00	5.50
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (द) स्थानों में शामिल नही।	3.50	4.00	0.50	4.50

5.3 रिटेल ऑन (Retail-on) अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम हेतु निर्धारित "स्पेशल वेण्ड फीस" देय होगी। यह "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की सीमा तक समायोजन योग्य होगी। इसके बाद मदिरा/बीयर निर्गम पर "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी को पृथक से नकद जमा करानी होगी।

(6) भांग :–

6.1 बन्दोबस्त प्रकिया :

वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किया जायेगा।

6.2 समूहों की संख्या :

वर्ष 2016–17 में भांग दुकानों के 29 समूह हैं। समूह का बन्दोबस्त किये जाने के पूर्व समूह की आरक्षित राशि को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक समूह के अर्न्तगत आने वाली दुकानों (राज्य में कुल दुकानों की संख्या को यथावत रखते हुये) का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

6.3 आरक्षित राशि का निर्धारण :

(i) वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त के स्तर पर किये जाने के उपरान्त इस राशि में **6 प्रतिशत** की वृद्धि की जाकर वर्ष 2017–18 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में **6 प्रतिशत** की वृद्धि की जाकर वर्ष 2018–19 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी ।

(iii) वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा राशि पर वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियों को उनके अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा। अनुज्ञाधारी वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा राशि का **6 प्रतिशत** नवीनीकरण आवेदन शुल्क राजकोष में जमा का चालान संलग्न कर नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(iv) वर्ष 2018–19 के लिये नवीनीकरण से शेष रहने वाले भांग समूह का बन्दोबस्त वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित बन्दोबस्त प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

(v) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित समूह की वार्षिक अनुज्ञाराशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि के अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

6.4 भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 8 बजे तथा बन्द करने का समय सांय 8 बजे निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.5 भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रखे जाना प्रस्तावित है।

(7) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जावेगा अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(8) आबकारी बन्दोबस्त के अर्न्तगत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नही किये जाने का प्रावधान नियमों में सम्मिलित किया जाये।

(9) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :

(i) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश** : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164–12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अनुसार राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो पर रिटेल ऑफ खुदरा दुकानों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर एवं अन्य निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **दुकानें खोलने का समय** : अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10:00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8:00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iv) **मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन** : मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में **"मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं"** की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(v) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयास** : 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक** : दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार** : नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1% भाग (न्यूनतम 10.00 करोड़ रूपये) आरक्षित कर इससे शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(viii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना** : सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी :–

(क) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(ख) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबरी किये जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

(ग) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(च) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(10) **शुष्क दिवस :**

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2017–18 में यथावत रखा जायेगा।

(11) **आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव :**

(i) आबकारी निरोधक दल में प्रहराधिकारी एवं सिपाहियों के रिक्त पदों की भर्ती की प्रकिया हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन के पश्चात् रिक्त पदों पर इसी वर्ष भर्ती की प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

(ii) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरोधात्मक कार्यवाही के लिये प्रहराधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को समुचित संख्या में राजकीय वाहन उपलब्ध करवाये जायेगें ।

(iii) वर्ष 2017–18 एवं इसके पूर्व के वर्षो में आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन में जब्त वाहनों की नीलामी अब पूरे राज्य में ई–ऑकशन प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। इससे लगभग रू. 25 करोड़ की

राशि आबकारी विभाग को प्राप्त होगी। इस राशि की 50 प्रतिशत राशि को विभाग के निरोधात्मक कार्यवाहियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नये वाहन एवं अन्य संसाधन यथा मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, फर्निचर, टेन्ट, ड्रेगन लाईट, हैलमेट व ढाल इत्यादि क्रय करने के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

(iv) आबकारी कार्यालयों के पुराने भवनों की मरम्मत एवं किराये के भवनों में चल रहे आबकारी थानों एवं आबकारी निरीक्षक कार्यालयों के नये भवन निर्माण हेतु राशि रू. 30 करोड़ उपलब्ध कराई जायेगी। इन भवनों को एक ही कैम्पस में निर्माण कराया जायेगा। सभी जिलों में निर्माण हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत जिलास्तरीय एवं जिला स्तर पर संचालित आबकारी विभाग के सभी कार्यालय एक ही कैम्पस में निर्मित किये जायेंगे।

(v) विभागीय कार्यो के निरन्तर दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु आबकारी मुख्यालय पर उपायुक्त (वरिष्ठ जिला आबकारी अधिकारी) के दो पद तथा सचिवालय में एक पद सृजित किया जायेगा।

(vi) आबकारी प्रयोगशालाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में बढ़ते हुये काम को देखते हुये भरतपुर संभाग मुख्यालय एवं जिला आबकारी अधिकारी, उत्पादन इकाई के मुख्यालय बहरोड पर एक–एक आबकारी प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

(vii) कई जिलों में आबकारी विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर भवन एवं भूमि उपलब्ध है वर्तमान में इन भूमि एवं भवनों का विभाग के उपयोग के लिये आवश्यकता नही है अतः इन जर्जर भवनों एवं भूमि को विक्रय कर अतिरिक्त राशि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(viii) विभाग में ई–गर्वनेंस गतिविधियों के अन्तर्गत डिस्टलरी मॉड्यूल, बॉटलिंग प्लान्ट एवं रिडक्शन सेन्टर मॉड्यूल तैयार किये जाकर लागू किये जायेंगे। आबकारी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट, रिटेल ऑन लाईसेन्स जारी करने तथा ऑकेजनल लाईसेन्स जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा।

(ix) विभाग के आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी स्तर तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर आबकारी वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को ऑनलाइन करने, सूचना संकलन एवं परिवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों पर अवैध शराब के पारगमन एवं तस्करी की गतिविधियों पर 24 घंटे प्रभावी रोकथाम एवं निगरानी के लिये ऑन लाईन/सी.सी.टीवी कैमरे स्थापित किये जायेगें। महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों के लिये स्थाई भवनों का निर्माण एवं अतिरिक्त स्टॉफ की तैनाती की जायेगी।

12. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में जो संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किये जाने अपेक्षित हो, उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने का श्रम करें।

आगामी बन्दोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित कराने का श्रम करें।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त, (राजस्व)
23/2/XVII